

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....६१.....197८-७६

यह प्रमाणित किया जाता है कि — लक्ष्मी शिवाण —
— संस्थान, जोधपुर — जिला — जोधपुर — का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक दस माह मई सन् एक हजार नौ सौ बढहचर को
जयपुर में दिया गया।

(सत्येन्द्र नाथ शर्मा)

रजिस्ट्रार संस्थाएँ, राजस्थान,
जयपुर।